<u>सी0– 499/19</u>

12.02.2020 परिवादी की ओर से वकालतन हाजिरी दी गई। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

वाद पत्र, परिवादी का शपथ पर दिया गया बयान एवं जांच के क्रम में परिवादी की ओर से प्रस्तुत किए गए तीन साक्षियों के साक्ष्य का परीक्षण किया। परीक्षण से स्पष्ट होता है कि वाद पत्र में वर्णित सभी अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 323, 504/34, 406 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध बनता प्रतीत होता है। अतः परिवाद पत्र में वर्णित सभी नामित 04 अभियुक्तों के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में सम्मन करने का आदेश दिया जाता है। परिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह पन्द्रह दिनों के अन्दर अपेक्षित दाखिल करें। तत्पश्चात् कार्यालय अभियुक्तों के विरूद्ध सम्मन निर्गत करें।

वाद दिनांक 21.03.2020 वास्ते अपेक्षित दाखिला।

लेखापित,

ए0सी0जे0एम0–तृतीय,
मुजफ्फरपुर, पश्चिमी।